



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में दुष्कर्म व दुष्कर्म के प्रयास की घटना करने के आरोपी रोहित , दीपक व मारपीट की घटना करने के आरोपी लोकेश, दयानन्द, गौतम को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ क्रमशः 10 वर्ष, 03 वर्ष व 6-6 माह का कारावास व 28 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2019 में अभियुक्त 1-रोहित पुत्र दिनेश, 2-दीपक, 3-लोकेश पुत्रगण गौतम, 4-दयानन्द पुत्र दिनेश व 5-गौतम पुत्र पूरन सिंह निवासी ग्राम गल्हैता थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा वादिया के साथ दुष्कर्म, दुष्कर्म के प्रयास व मारपीट करने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 179/19 धारा 323/354/376डी/506 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 17.12.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल पोक्सो कोर्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त रोहित को दुष्कर्म में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड, अभियुक्त दीपक को दुष्कर्म के प्रयास में 03 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रुपये अर्थदण्ड तथा अभियुक्तों गौतम, लोकेश व दयानन्द को मारपीट में 06-06 माह के कारावास व 1-1 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



नरेश वेदवान
एडीजीसी



है0का0 देवीदास
कोर्ट पैराकार



@baghpatpolice



baghpatpolice



Baghpat Police





प्रेस नोट

थाना खेकड़ा दिनांक 17.12.2025

थाना खेकड़ा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमन्चा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं ऑपरेशन शस्त्र के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमन्चा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है ।



उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 448/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया है एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अमीर पुत्र हनीफ निवासी ग्राम सांकरोद थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण

- एक अवैध तमन्चा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तारी टीम-

- 1-उ0नि0 श्री कुलजीत सिंह थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 2-का0 1008 मिथुन कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 3-का0 455 विजय सैनी थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।